11/1/22 पत्रावली पेशी में आदेश अधिवक्ता वादी अनुपस्थित। वादी एवं वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखील दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहा... एवं उप... हनुमानगढ़